EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1498—1508

Dated 19-11-2011

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 317.—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमा सुरक्षा बल (योधक आशुलिपिक काडर) समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' भर्ती नियम, 2005 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सीमा सुरक्षा बल में समूह 'क' और समूह 'ख' के पदों (योधक आशुलिपिक काडर) पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल (योधक आशुलिपिक काडर) समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. अधिवर्षिता.—(1) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई कार्मिक उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न से सेवानिवृत्त होगा :

परन्तु वह व्यक्ति जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा ।

(2) किसी व्यक्ति को सत्तावन वर्ष की सेवा निवृत्ति की आयु के पश्चात् सेवा विस्तारण प्रदान नहीं किया जाएगा ।

7. चिकित्सकीय दृष्टया योग्यता.—(1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति, जो चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I में है, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

(2) "शेप-I" से निम्नानुसार परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है :-

(i) कोड अक्षर शेप (एस एच ए पी ई), जो निम्नलिखित कृत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं द्वारा उपदर्शित दिए गए कारकों के अधीन अधिकारी की उपयुक्तता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सीय वर्गीकरण अर्थात् :—

एस — मनोवैज्ञानिक

एच — श्रवण शक्ति

ए — उपांग (अपैन्डेजेस)

ई. — दृष्टि शक्ति

(ii) प्रत्येक कारक के अधीन, किसी अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता, प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 की कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी । कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे सिवाय उसके जहां कोई अधिकारी सभी कारकों में श्रेणी-I में है वहां उसका प्रवर्ग एस$_1$ एच$_1$ ए$_1$ पी$_1$ ई$_1$ लिखने के बजाय शेप I, लिखकर दर्शाया जा सकेगा । इन अंकों का सामान्य मूल्यांकन निम्नानुसार है :—

(1) कहीं भी सभी कर्त्तव्यों के लिए योग्य ।

(2) सभी कर्त्तव्यों के लिए योग्य किन्तु क्या कर्त्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या आँखों को श्रवण शक्ति या दृष्टि की तीक्षणता की मांग अन्तर्ग्रस्त है या नहीं, पर निर्भर करते हुए कर्त्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं ।

(3) "एस" कारक को छोड़कर, नैमी या निष्क्रिय कर्त्तव्यों के लिए, योग्य किन्तु उच्च स्थान (2,700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी भूखंडों पर दीर्घ कर्तव्य भारों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती हैं ।

(4) अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्त्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य ।

(5) कर्त्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य ।

8. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

9. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक कमाण्डेंट (निजी सचिव)	18* (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय (योधक)	वेतन बैंड-3 15,600— 39,100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष